एक नजर में

आज खुलेंगे रजिस्ट्री कार्यालय

लखनऊ : वकीलों की हड़ताल के बाद सर्वर की खराबी के चलते तीन दिनों से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, जिससे प्रतिदिन सरकार को करीब दस करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए रविवार को सभी उपनिबंधक कार्यालय खुले रहेंगे। एआइजी रमेश कुमार ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए कल सभी तहसीलों के उपनिबंधक कार्यालयों में पकार्य होगा। (जासं)

वाटर पार्क में युवती से छेड़छाड़

लखनऊ : बक्शी का तालाब स्थित वाटर पार्क में युवती संग छेड़छाड़ और अभद्रता की गई। शिकायत के अनुसार, नहाने के दौरान कुछ युवकों ने युवतियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि आपत्तिजनक हरकत करने की भी कोशिश की। चीख-पुकार सुनकर सुरक्षा कर्मियों ने आरोपितों को घेर लिया। इंस्पेक्टर बीकेटी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। (जासं)

अवैध वेंडर पकड़े

लखनऊ : रेलवे ने 04652 स्पेशल ट्रेन में बिना वैध लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचते हुए छह अवैध वेंडरों को पकड़ा गया है। निम्न गुणवत्ता के खाद्य पैकेट बेचने वाले इन लोगों को आरपीएफ के हवाले कर दिया गया है। (जासं)

98 लाख रुपये हेक्टेयर तक होंगी जमीन

कृषि भूमि का सर्किल रेट बढ़ाने की कवायद, दो तक दाखिल कर सकते हैं आपत्ति

जासं • लखनऊ : संशोधित डीएम सर्किल रेट लागू होने के बाद गांवों की जो कृषक जमीनें मुख्य मार्गों के आसपास होंगी उनको सबसे अधिक फायदा होगा। प्रशासन ने जो दरें प्रस्तावित की हैं उनमें मुख्य मार्ग के आसपास 40 लाख से लेकर 98 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तक है। शुक्रवार को राजधानी के 332 गांवों में कृषि योग्य जमीनों की प्रचलित डीएम सर्किल की दरों को बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिनमें तमाम गांव में अधिकतम इसी के आसपास प्रस्तावित की गई हैं। इसके लिए दो जून तक प्रस्तावित दरों पर सुझाव और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। तीन जून को इन आपत्तियों पर सुनवाई के बाद चार जून से इसको लागू किया जाएगा।

शुक्रवार को प्रशासन ने मोहनलालगंज के 161, सरोजनीनगर के 52, बख्शी का तालाब के 95, मलिहाबाद के 13 और सदर के छह गांवों में डीएम सर्किल रेट बढाने के लिए चार श्रेणियों में दरें प्रस्तावित की हैं। जनपदीय मार्ग के आसपास जहां विकास की संभावनाएं हैं, वहां पर अधिकतम मूल्य रखा गया है। पांचों तहसील में कहीं पर भी 40 लाख रुपये प्रति हेक्यटेयर से कम डीएम सर्किल रेट नहीं रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रचलित बाजार दर और मौजूदा डीएम सर्किल रेट की दरों के बीच के अंतर कम करने के संशोधन है। मोहनलालगंज के हुलासखेड़ा गांव में चारों श्रेणियों में दरें सबसे अधिक हैं। यहां मुख्य मार्ग के पास 98 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर, संपर्क मार्ग के करीब 91 लाख रुपये, आबादी से सटी भूमि की दर 98 लाख और सामान्य भूमि की दर 70 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है। सरोजनीनगर तहसील में जैतीखेड़ा गांव में मुख्य मार्ग के पास 91 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर, संपर्क मार्ग के पास 85 लाख रुपये, आबादी से सटी जमीन 91 लाख रुपये और सामान्य जमीन 70 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर रखी गई है। इसी तरह ही शेष तहसीलों के गांवों में दरें प्रस्तावित हैं।

बाफिला के कई करीबी व अफसर ईडी की राडार पर

गोमतीनगर और गोमतीनगर विस्तार में समायोजन की आड़ में किया था एक हजार करोड़ रुपये का जमीन घोटाला

जासं • लखनऊ : गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार में समायोजन की आड़ में सहकारी समितियां बनाकर करीब एक हजार करोड़ के जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में दिवंगत दिलीप सिंह बाफिला के करीबी और अफसर फंस सकते हैं। ईडी ने गोमतीनगर विस्तार से जुड़ी करीब 300 करोड़ की फाइलों की जानकारी एलडीए के अर्जन विभाग से मांगी है। हालांकि एलडीए के अधिकारी ईडी की इस जांच को लेकर कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं।

दरअसल गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार में जमीन के समायोजन की आड़ में तय सीमा से कई गुणा ज्यादा जमीन दिलीप सिंह बाफिला की समिति को देकर अपने लोगों को कौड़ियों के भाव में बेची गई थी। दिलीप की हिमालय सहकारी आवास समिति, बहुजन निर्मल समिति के खिलाफ वर्ष 2010 में तत्कालीन एलडीए उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने भी जांच करायी थी। बाफिला ने गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार में समायोजन के नाम पर एलडीए के पूर्व अफसरों व कर्मियों की मिलीभगत से 234 भूखंडों के समायोजन का घोटाला किया था। समितियों में बाफिला ने परिवारजन व रिश्तेदारों को फर्जी सदस्य बनवाया और उनके नाम प्राइम लोकेशन के बड़े-बड़े भूखंड आवंटित कर दिए। शासन की जांच में हेराफेरी कर 234 भूखंडों को फर्जी सदस्यों को आवंटित करने का मामला पकड़ा गया था। इसमें हिमालय समिति के 122 और बहुजन निर्मल समिति के 112 भूखंड शामिल हैं। बाफिला की कितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया है, उसके समायोजन में कितनी जमीन दी गई, इसका सही रिकार्ड तक एलडीए के अर्जन विभाग को नहीं मिल रहा है। बाफिला के खिलाफ गोमती नगर, चिनहट, विभूति खंड और हजरतगंज जैसे विभिन्न थानों में दो दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने बाफिला की 48.22 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था।

हेलो, डिप्टी सीएम का पीआरओ बोल रहा हूं, मुकदमा वापस ले लो...

जासं • लखनऊ : ठाकुरगंज में रहने वाले भाजपा नेता रंजीत निगम को किसी ने खुद को डिप्टी सीएम का पीआरओ बताकर मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। कहा, अगर मुकदमा वापस नहीं लोगे तो ठीक नहीं होगा। इस पर रंजीत ने ठाकुरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रंजीत निगम के अनुसार 28 मई की शाम 6:34 बजे उनके मोबाइल पर फोन काल आई। काल करने वाले ने खुद को उपमुख्यमंत्री का पीआरओ बताते हुए उनसे चल रहे मुकदमे को वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगा। उसने बताया कि मुकदमे से जुड़े कुछ लोग उसके पास आए हुए हैं। कहा, यदि मुकदमा वापस नहीं लिया तो उन्हें और उनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। रंजीत ने पुलिस को बताया कि राकेश यादव और उसके परिवार के अन्य सदस्य मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। आशंका है कि फोन काल के पीछे इन लोगों की ही साजिश है। रंजीत के अनुसार फोन नंबर किसी पवन शास्त्री यादव के नाम से दिख रहा था। इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ओमवीर सिंह का कहना है कि साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच की जा रही है।

पुलिस मुख्यालय के सामने कार सवार को घायल कर नकदी लूटी

- घर लौटते समय हुई घटना, हाई कोर्ट के अधिकारी के यहां करते हैं काम
- सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र का मामला सीसी कैमरे खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता • लखनऊ : पुलिस मुख्यालय के सामने बुधवार रात बाइक सवार चार बदमाशों ने कार सवार युवक को ओवरटेक कर रोका। चाकू से हमला कर करीब 22 हजार रुपये नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने शनिवार को रिपोर्ट दर्ज की है। इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

अंबेडकरनगर गोहिला ग्राम दिलावलपुर निवासी 27 वर्षीय सचिन कुमार इंदिरानगर के जरहरा स्थित शीतलनगर में रहते हैं। वह हाई कोर्ट के एक अधिकारी के यहां नौकरी करते हैं। सचिन 27 मई की रात करीब साढ़े नौ बजे शहीद पथ से होते हुए हाई कोर्ट की ओर जा रहे थे। शहीद पथ स्थित पुलिस मुख्यालय के सामने दो बाइक सवार चार बदमाशों ने ओवरटेक कर उनकी कार को रोक लिया। जब तक वे कुछ समझ पाते, बदमाशों ने उन्हें खींचकर कार से बाहर निकला। विरोध करने पर बदमाश ने चाकू से उनपर हमला कर दिया, जिससे सचिन घायल होकर गिर पड़े। बदमाशों ने जेब में रखे 22 हजार लूट लिए। घायल हालत में सचिन घर पहुंचे। इलाज कराने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाने में तहरीर दी। पुलिस ने शनिवार को दो बाइक सवार चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

महिला मित्र ने युवक पर चाकू से किया हमला, घायल

लखनऊ : सआदतगंज के युवक पर उसकी महिला मित्र ने चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद जान से मारने की धमकी दी। घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसका इलाज चल रहा है। अपिया नगर, किशोरगंज निवासी मोहम्मद आमीन के मुताबिक बीती 27 मई की रात करीब एक बजे वह दोस्त मुस्कान के लकड़मंडी एमडी लान के पास स्थित फ्लैट पर मौजूद था। वहीं पर दोनों साथ रहते थे। आरोप है कि उस समय मुस्कान शराब के नशे में थी और उसने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। आमीन ने विरोध किया तो मुस्कान ने गुस्से में आकर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर सआदतगंज पुलिस रिपोर्ट दर्ज मामले की जांच कर रही है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण

(ISO 14001 : 2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था)

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)। पीबीएक्स : 1800 1800 5000, वेबसाइट: www.ldalucknow.in

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की आवासीय/व्यवसायिक/रेन्ट/नजूल/इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट योजनाओं के निम्नलिखित आवेदकों द्वारा उनके नाम के सामने अंकित सम्पत्ति का हस्तानान्तरण/ नामांकरण किये जाने हेतु प्राधिकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है :-

क्र सं.	मूल आवंटी का नाम	भवन/भूखण्ड/ फ्लैट संख्या	योजना का नाम	मृत्यु का दिनांक	मूल आवंटी के उत्तराधिकारी अथवा आवेदक का नाम	उत्तराधिकारी के पक्ष में अनापत्तिकर्ताओं के नाम	मूल आवंटी (मृतक) से आवेदक के सम्बंध
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्व0 भगवान स्वरूप सक्सेना (मृतक)	भवन संख्या एच-88	सेक्टर-ई अलीगंज योजना लखनऊ	14.01.2025	श्रीमती शैफाली सक्सेना एवं श्रीमती रूपाली सक्सेना	पंजीकृत वसीयत के आधार पर	पुत्री
2	राहुल सिंह	भवन संख्या- E-287, सेक्टर-एम 1	कानपुर रोड	15.05.2018	सपना सिंह, अनीता, सुनीता किशन बहादुर, शांति देवी	--	बहन, बहन, बहन भाई, बहन
3	स्व0 राम सुमिरन सिंह	भवन संख्या- E-4/105	विराम खण्ड गोमती नगर	04.08.2021	श्रीमती निशा सिंह	वसीयत के आधार पर	पत्नी
4	स्व0 कैप्टन सुप्रशान्त दुबे	भवन संख्या- 5/365	विराम खण्ड गोमती नगर	16.04.2021	श्रीमती रीता तिवारी	उत्तराधिकार के आधार पर	पत्नी
5	स्व0 राकेश नारायण मेहरा एवं श्रीमती लता मेहरा	भवन संख्या- 6/91-सी	विपुल खण्ड गोमती नगर योजना	14.04.2013	सुश्री प्रज्ञा मेहरा	-	पुत्री

उपर्युक्त नामान्तरण के आवेदन के सम्बन्ध में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह साक्ष्य सहित प्रकाशन तिथि से 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्राप्त करा दें। निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्राधिकरण अभिलेखों में कॉलम-6 पर लिखित व्यक्ति का नाम दर्ज कर लिया जायेगा तथा उसके बाद किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव

चलती ट्रेन से गिरकर इंटर के छात्र की मौत, पिता की तबीयत हुई खराब

जागरण टीम • लखनऊ: बीकेटी क्षेत्र में शनिवार सुबह इंटर के छात्र की चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। इकलौते बेटे का शव देखकर पिता की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

देवरी रुखारा निवासी विक्रम सिंह निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। परिवार में पत्नी और इकलौता बेटा 18 वर्षीय प्रीत सिंह था। प्रीत ने इस वर्ष 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वह 28 मई को पिता के काम से हल्द्वानी गया था और शनिवार सुबह ट्रेन से घर लौट रहा था। बताया जा रहा है कि इटौंजा और बीकेटी रेलवे स्टेशन के बीच वह चलती ट्रेन से गिरा और पहियों की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। छात्र के पास से मिले आधार कार्ड और मोबाइल फोन के आधार पर परिवारीजन से संपर्क कर घटना की जानकारी दी गई। इकलौते बेटे का शव देख विक्रम सिंह के सीने में तेज दर्द उठा व वह मौके पर ही गिर पड़े। परिवारजन ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बीकेटी पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंस्पेक्टर बीकेटी ने बताया कि छात्र का बैग व अन्य सामान पुलिस के कब्जे में है। जांच की जा रही है कि छात्र किन परिस्थितियों में ट्रेन से गिरा।

दुष्कर्म के आरोपितों का सीजेएम कोर्ट में सरेंडर

- तीसरे आरोपित का अब तक पता नहीं, पीड़िता ने भी नहीं खोला मुंह
- दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी पहुंचा था केस

जागरण संवाददाता • लखनऊ: दिल्ली में रह कर यूपीएससी की तैयारी कर रही जौनपुर निवासी छात्रा से सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म करने के मुख्य आरोपित शिवम यादव और उसके साथी शनि ने शनिवार को पुलिस को चकमा देकर सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दोनों आरोपितों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस अब दोनों की रिमांड लेने की तैयारी कर रही है।

दोनों आरोपितों ने सरेंडर के लिए शुक्रवार को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। शनिवार को दोनों ने चुपचाप अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। जांच अधिकारियों का कहना है कि घटना के दिन आरोपितों द्वारा पहने गए कपड़ों समेत कुछ अहम साक्ष्यों की बरामदगी के लिए रिमांड पर लेना जरूरी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़िता अपने बयानों में कई बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है।

वह शिवम यादव को बचाने की बात भी कह रही है, जबकि उसके पिता आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। पीड़िता से यह जानकारी जुटाई जा रही है कि मोबाइल डाटा क्यों डिलीट किया। घटना के बाद दिल्ली जाते समय चार घंटे तक मुख्य आरोपित शिवम यादव से मैसेज के जरिये बातचीत होने की बात भी सामने आई है।

यह था मामला : जौनपुर निवासी छात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेज में बीए आनर्स की पढ़ाई के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रही है। आरोप है कि 15 मई को दिल्ली जाते समय उसने परिचित शिवम यादव को मैसेज किया था।

शिवम अपने साथी शनि यादव के साथ चारबाग स्टेशन पहुंचा और उसे सुशांत गोल्फ सिटी स्थित कमरे पर ले आया था। पीड़िता का आरोप है कि वहां उसे नशीला पदार्थ देकर तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा और सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हालत बिगड़ने पर 18 मई को आरोपित ट्रेन से दिल्ली भेजकर फरार हो गए। दिल्ली के आनंद विहार जीआरपी में दर्ज जीरो एफआइआर लखनऊ ट्रांसफर किए जाने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!

शाखा आफिस - एआरएमबी, लखनऊ

निकट कपूरथला चौराहा, अलीगंज, लखनऊ-226024
मो. नं. 7060027344 ईमेल: cs8272@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

ई-नीलामी प्रक्रिया से "वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत जो प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के साथ पठित है, अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, जमानतकर्ताओं, बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्ति(यों) जिन्हें बैंक के पक्ष में गिरवी/बंधक रखा गया था एवं जिनका रचनात्मक कब्जा (सांकेतिक/भौतिक) पंजाब नैशनल बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है की ई-नीलामी 'जहाँ है जैसा है", "जहां है जो है" और "जो भी हो' के अनुसार निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ताओं से प्रतिभूत राशि की वसूली के लिए की जाएगी। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य, EMD राशि एवं अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (कोई अधिभार ज्ञात नही) निम्नानुसार है। ऋणियों/ जमानतकर्ताओं /बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बिक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

क्र सं	शाखा का नाम / खाते का विवरण / उधारकर्ता/जमानतकर्ता/ खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम (बंधक सम्पत्ति/यां) (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित)	अ)डिमांड नोटिस की तिथि 13(2)सरफेसी नियम 2002 / ब)बकाया राशि / स) कब्जा की तिथि, 13(4) सरफेसी नियम 2002 / द)कब्जा का प्रकार-रचनात्मक/सांकेतिक/भौतिक कब्जा	अ)आरक्षित मूल्य / ब)धरोहर धनराशि (धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि) / स) वृद्धिशील बिड धनराशि	ई-नीलामी की तिथि व समय	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण
	धरोहर धनराशि जमा करने हेतु खाते का विवरण : खाता नं. 827200317118A आईएफएस कोड (IFS code)-PUNB0827200 नोडल अधिकारी - श्री ए. पी. मिश्रा, मुख्य प्रबन्धक, एआरएमबी, लखनऊ, मो. +91 7060027344					
1	शाखा :एआरएमबी लखनऊ खाता का नाम-मेसर्स शुक्ला स्टील्स सेल्स उधारकर्ता: मेसर्स शुक्ला स्टील्स सेल्स प्रोपराईटर /बंधककर्ता - श्री अविनाश चंद्र शुक्ला मकान नं. सी-13/104, प्रथम तल, सी-ब्लॉक, राजाजीपुरम, लखनऊ 226017	सभी भाग एवं हिस्सों सहित सम्पत्ति स्थित आवासीय फ्लैट स्थित मकान नंबर सी-13/104, प्रथम तल, सी-ब्लॉक, राजाजीपुरम लखनऊ 226017 क्षे. 90.25 वर्ग मीटर जोकि श्री अविनाश चंद्र शुक्ला पुत्र स्वर्गीय रामाधार शुक्ला के नाम है। चौहददी- पूर्वः सी-13/105 पश्चिमः सी-13/103, उत्तरः 9 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिणः ईडब्ल्यूएस मकान	अ) 01.05.2023 ब)रू. 30,10,983.72 दिनांक 30.04.2026 को + ब्याज दिनांक 01.05.2026 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे घटाओं वसूली यदि कोई हो तो, स) 11.07.2023 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 48,49,000.00 ब)रू 4,84,900.00 15.06.2026 स)रू. 10,000/-	16.06.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक	कोई अधिभार ज्ञात नही
2	शाखा : एआरएमबी, लखनऊ खाता-मैसर्स पी के इंडस्ट्रीज खाता संख्या 07504011000736 एवं 07507011000317) उधारकर्ताः मेसर्स पी के इंडस्ट्रीज, (प्रोप. विकास कुमार पाठक) पताः ग्राम-मीतपुर, पोस्ट-बहरामघाट तहसील राम नगर, बाराबंकी -225201 उधारकर्ता और बंधककर्ताः श्री विकास कुमार पाठक पुत्र श्री तेज नारायण पाठक, ग्राम-मीतपुर, तहसील राम नगर, बाराबंकी -225201 जमानतकर्ता-श्रीमती सुमन देवी पत्नी देवा राम, निवासी मकान नं. 50, ग्राम- अल्लापुर रानीमऊ, पोस्ट- सूर्यामऊ, तहसील- राम नगर, बाराबंकी- 225201	सभी भाग एवं हिस्सों सहित खसरा नं. 185 ग्राम-मीतपुर, पोस्ट- बेहराम घाट, जिला बाराबंकी, । माप क्षेत्रफल 0.253 हेक्टेयर, अर्थात् 2530 वर्गमी. सम्पत्ति मालिक श्री विकास कुमार पाठक चौहददी (डीड के अनुसार): पूर्वः खरंजा, पश्चिमः खेत विकास कुमार, उत्तरः घूर गढ़ा, दक्षिणः खेत श्रवण जैन नोट- अचल सम्पत्ति एनपीए खाता अवध ऑयल मिल्स में बंधक है।	अ) 29.05.2024 समाचार पत्र में प्रकाशित 05-06-2024 ब)रू. 2,04,35,115/- दिनांक 30.04.2026 को +ब्याज दि- 01.05.2026 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर, यदि कोई हो तो स) 08.08.2024 द) सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 22,93,920/- ब)रू. 2,29,392/- 15.06.2026 स)रू. 10,000/-	16.06.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक	कोई अधिभार ज्ञात नही
3	(अ) शाखाः एआरएमबी, लखनऊ (ब)खाता-सैयद निजमुल हसन (मृतक) खाता संख्या 029300NC20061626 & 029300NC20061662) (स)उधारकर्ता/बंधककर्ताः स्व0 सैयद निजमुल हसन पुत्र स्वर्गीय सैयद अहसन के सभी कानूनी उत्तराधिकारी, पता 1. 39, फूलबाग कॉलोनी, बहादुरपुर, कुर्सी रोड लखनऊ 226018, पता 2. 43, फूलबाग कॉलोनी, बहादुरपुर, कुर्सी रोड लखनऊ 226018, 3. ए 16 सेक्टर जी अलीगंज डंडैया मार्केट निकट पेट्रोल पंप, लखनऊ 226024 सह-उधारकर्ता-श्रीमती जेबा जहीर पत्नी सैयद निजमुल हसन, पता (1). 43, फूलबाग कॉलोनी, बहादुरपुर, कुर्सी रोड लखनऊ 226018 पता (2). ए 16 सेक्टर जी अलीगंज डंडैया मार्केट पेट्रोल पंप के पास लखनऊ 226024	सभी भाग एवं हिस्सों सहित मकान नंबर ई 6/113 आम्रपाली योजना हरदोई रोड लखनऊ 226017 सम्पत्ति मालिकः सैयद निजमुल हसन पुत्र स्वर्गीय सैयद अहसन क्षेत्रफल 40.74 वर्गमीटर चौहददीः पूर्वः मकान नंबर 6/112 पश्चिमः मकान नंबर 6/114 उत्तरः मकान नंबर 6/97 दक्षिणः 4.5 मी चौड़ी सड़क	अ) 24.10.2017 ब)रू. 4754424.30 (दिनांक 30.04.2026 को +ब्याज दि- 01.05.2026 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तो, स) 29.01.2018 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 17,51,000.00 ब)रू. 1,75,100.00 15.06.2026 स)रू. 10,000.00	16.06.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक	कोई अधिभार ज्ञात नही
4	शाखा : एआरएमबी लखनऊ (मूल शाखा महानगर लखनऊ (075800) खाता-मेसर्स प्रभा कल्याण समिति उधारकर्ता-मेसर्स प्रभा कल्याण समिति यूनिटः- प्यारे लाल महाविद्यालय, प्रबन्धक- अखिलेश कुमार कटियार, 43, शिवपुरम, त्रिवेणी नगर- III, सीतापुर रोड, लखनऊ, उ.प्र. प्रेसीडेन्ट-रवि कान्त कटियार, 538क/701, शिव पुरम, त्रिवेणी नगर-III, सीतापुर रोड, लखनऊ, उ.प्र. वाइस प्रेसीडेन्ट- श्रीमती गीता कटियार, 43, शिवपुरम, त्रिवेणी नगर- III, सीतापुर रोड, लखनऊ, उ. प्र. श्री अभिषेक कटियार, मकान नं. 757, शेखपुर कालोनी, अलीगंज, लखनऊ, उ.प्र.। श्रीमती ज्योत्सना कटियार, 43, शिवपुरम, त्रिवेणी नगर -III, सीतापुर रोड, लखनऊ, उ.प्र.।	1. साम्यिक बंधक-भूमि एवं भवन प्लाट नं. 41 एवं 42, खसरा सं. 127 का भाग, स्थित ग्राम अहिबरनपुर, वार्ड त्रिवेणी नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ, क्षे. 390.334 वर्गमी. सम्पत्ति मालिक न्यू वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चौहददी (विक्रय अभिलेख के अनुसार)- उत्तर- प्लाट नं. 43, दक्षिण-प्लाट नं. 40, पूरब- प्लाट नं. 47 एवं 48, पश्चिम- रास्ता 25फीट चौड़ा, 2. साम्यिक बंधक-भूमि एवं भवन प्लाट नं. 43 एवं 44, खसरा सं. 127 का भाग, स्थित ग्राम अहिबरनपुर, वार्ड त्रिवेणी नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ, क्षे. 301.665 वर्गमी. सम्पत्ति मालिक न्यू वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। चौहददी (विक्रय अभिलेख के अनुसार)-उत्तर- प्लाट नं. 44 का शेष भाग, दक्षिण-प्लाट नं. 42, पूरब- प्लाट नं. 46, पश्चिम- रास्ता 25फीट चौड़ा, 3. साम्यिक बंधक-भूमि एवं भवन प्लाट नं. 44, खसरा सं. 127 का भाग, स्थित ग्राम अहिबरनपुर, वार्ड त्रिवेणी नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ, क्षे. 92.936 वर्गमी. सम्पत्ति मालिक न्यू वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। चौहददी (विक्रय अभिलेख के अनुसार)- उत्तर- रास्ता 20 फीट चौड़ा, दक्षिण-प्लाट नं. 43, पूरब-विक्रेता की भूमि, पश्चिम- रास्ता 25फीट चौड़ा,	अ) 19.02.2020 ब)रू. 12,45,68,855.96 (दिनांक 30.04.2026 को +ब्याज दि- 01.05.2026 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तो, स) 21.07.2020 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 2,74,42,000/- ब)रू. 27,44,200/- 15.06.2026 स)रू. 10,000/-	16.06.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक	कोई अधिभार ज्ञात नही

नियम एवं शर्ते- बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम एवं शर्ते की पुष्टिकरण के अधीन होगी। 1. सम्पत्तियों की बिक्री "जहाँ है वैसा है", "जैसा है वैसा है" और "जो भी हो' के आधार पर की जायेगी। 2. बंधक सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्दिष्ट जानकारी बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंकित किये गये है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि गलत बयान या बिक्री सम्बन्धी घोषणा में हुई चूक हेतु जवाबदेही नही होगा। 3. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफार्म वेवसाइट https://baanknet.com पर की जायेगी। 4. विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com में दिए गए लिंक को देखें।

बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।

दिनांक 31.05.2026, स्थान लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार

Jagran — कूपन-प्रपत्र ड्रा-4 — 21 मई-4 जून 2026 तक — दैनिक जागरण

सुपर 15 योजना-ड्रा 4 में प्रकाशित 15 कूपनों में से 10 कूपन* काटकर इस प्रपत्र पर चिपकाए और पाए लकी ड्रा में लाखों के उपहार जीतने का मौका.

यह कूपन प्रपत्र यहां से काटें

कूपन यहां चिपकाएं (×10)

नाम ____ उम्र ____
पता ____
जिला ____ मोबाइल ____

सहमति (Consent) : मैं ट्रिपल धमाका ऑफर में भाग लेने के लिए अपना नाम / पता / फ़ोन नंबर स्वेच्छा से दे रहा / रही हूं। इस जानकारी का उपयोग केवल इस योजना से संबंधित उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।

*नियम व शर्तें लागू

कूरियर / स्पीड पोस्ट/ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा अपना कूपन प्रपत्र इस पते पर भेजें- **जागरण प्रकाशन लिमिटेड कार्यालय**, 57, ए-3, मीराबाई मार्ग निकट सिकंदराबाद, चौराहा, **लखनऊ.** पिन-226001, फोन-98891 64725, (सुबह 11 से सायं 4 बजे)

पढ़ते रहिए दैनिक जागरण

सुपर 15 के ड्रा-4 (21 मई से 4 जून 2026) के कूपन-प्रपत्र जमा करने की अंतिम तारीख 7 जून 2026 तक है.